


आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 484/2022 (धारा 14 सेक्योरिटाईजेशन)
मेसर्स विलक्स हाउसिंग फार्डनेस लिमिटेड, पता-चतुर्थ तल, कैलाश बिल्डिंग, कस्तूरबा गांधी
मार्ग, कर्नाट प्लेस, न्यू दिल्ली ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री रामरतन पुत्र श्री हीरालाल कुमावत,
पता :- प्लॉट नं. 20, साई ग्लोबल सिटी, हिंगोनिया रोड, हिंगोनिया, जयपुर।
एवं श्री गणेश एन्टरप्राइजेज, मेन मार्केट, गायल हॉस्पिटल, रींगस, एनएच-52 के पास,
सीकर, राजस्थान।
2. श्रीमती कांता देवी पत्नी श्री रामरतन,
पता :- प्लॉट नं. 20, साई ग्लोबल सिटी, हिंगोनिया रोड, हिंगोनिया, जयपुर।
एवं प्रियंका फर्नीचर, मैरु मोड, रींगस, एनएच-52 के पास, सीकर, राजस्थान।
3. श्री जितेन्द्र चौहान पुत्र श्री सोहन लाल चौहान,
पता- वार्ड नं. 16, खटीकों का मोहल्ला, जैतूसर, सीकर।

अप्रार्थीगन
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act.2002.

उपस्थित :-

1. श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 15.09.2022.

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.11.2020 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री राम रतन के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 20, साई ग्लोबल सिटी योजना, ग्राम हिंगोनिया, तहसील रेनवाल, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 471.11 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 15,60,897/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.06.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 17 जून 2021 का सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्था के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 15,60,897/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 16,93,398.71/-रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 23.06.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
5. अतः : The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री राम रतन के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 20, साई ग्लोबल सिटी योजना, ग्राम हिंगोनिया, तहसील रेनवाल, जिला जयपुर, क्षेत्रफल 471.11 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्वन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली



से कम होकर दाखिल दफतर हो।
आदेश आज दिनांक 15.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरीहित)
जिला नजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर